मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१७

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है. — संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ (क्रमांक १६ सन् १९६७) की अनुसूची में,— — अनुसूची का संशोधन.

(एक) मद ९६ में, शब्द "भंडार निगम" के स्थान पर, शब्द "वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन" स्थापित किए जाएं;

(दो) मद १०३ में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्धविराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात्, निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

"१०४. मध्यप्रदेश राज्य कृषक आयोग का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

१०५. मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

१०६. बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

१०७. विंध्य विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

१०८. महाकौशल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

१०९. राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

११०. मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन सलाहकार मण्डल का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

१११. मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

११२. मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ (क्रमांक १६ सन् १९६७) की अनुसूची में सरकार के अधीन लाभ के कतिपय पदों को सम्मिलित करने के लिए, यह विनिश्चय किया गया है कि अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए, जिससे उस पद का धारक राज्य विधान मण्डल का सदस्य चुने जाने या उसका सदस्य होने के लिए निरर्हित न हो.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक १६ मार्च, २०१७

डॉ. नरोत्तम मिश्र
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ (क्रमांक १६ सन् १९६७) से उद्धरण.

"अनुसूची

सरकार के अधीन लाभ के पदों की सूची

[धारा ३ (१) देखिये]

१. राज्य विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.

*   *   *   *

९६. मध्यप्रदेश भंडार निगम का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

*   *   *   *

१०३. भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष."

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.